



छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

क्रमांक 410/95/2010/चयन

रायपुर दिनांक 19/10/2012

प्रेस विज्ञप्ति

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्रमांक 01/2009/परीक्षा दिनांक 15/05/2009 एवं रोजगार और नियोजन में प्रकाशन तिथि 20/05/2009 के अनुसार 32 विषयों के सहायक प्राध्यपक (उच्च शिक्षा विभाग) के 878 पदों हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। जिसकी लिखित परीक्षा दिनांक 29 एवं 30/11/2009 को आयोजित की गई थी, तथा लिखित परीक्षा के परिणाम अनुसार साक्षात्कार भी लिए गए थे।


माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन की वजह से चयन सूची जारी नहीं की जा सकी थी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 29/03/2012 को स्थगन आदेश हटा लेने के कारण 32 विषयों के सहायक प्राध्यापकों के 878 रिक्त पदों के विरुद्ध पूर्व में 25 विषयों की चयन सूची जारी की गई है। आज विधि एवं समाज शास्त्र विषय के क्रमशः 57 एवं 05 रिक्त पदों के विरुद्ध 21 एवं 03 पदों पर चयन सूची जारी की जा रही है।

सहायक प्राध्यापक-विधि में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04/07/2012 एवं आयोग के निर्णय दिनांक 25/04/2011 के पालन में कुल 10 (दस) पद रिक्त रखे गए हैं। विकलांग श्रेणी के 03 पद (अनारक्षित 01, अनुसूचित जाति 01, अन्य पिछड़ा वर्ग 01) एवं अनुसूचित जाति के 08 पद , अनुसूचित जनजाति के 10 पद एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के 05 पद अर्थात् कुल 26 पद अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण रिक्त रह गए हैं, जिन्हें अग्रणीत किया गया है।

सहायक प्राध्यापक-समाज शास्त्र में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04/07/2012 एवं आयोग के निर्णय दिनांक 25/04/2011 के पालन में कुल 02 (दो) पद रिक्त रखे गए हैं।

चयन सूची आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर जारी (अपलोड) कर दी गई हैं।

शेष विषयों की चयन सूचियां भी परीक्षण पश्चात जारी की जाएंगी।


परीक्षा नियंत्रक(प्रभारी)
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग
रायपुर



छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

क्रमांक - 412/95/2010/चयन

रायपुर, दिनांक 19/10/2012

चयन सूची

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्रमांक 01/2009/परीक्षा दिनांक 15/05/2009 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 20/05/2009 के द्वारा सहायक प्राध्यापक विधि (उच्च शिक्षा विभाग) के कुल 57 पद विज्ञापित किये गये थे.

लिखित परीक्षा व साक्षात्कार में प्राप्तियों के योग के मेरिट तथा वर्गवार अभ्यर्थियों की उपलब्धता के आधार पर सहायक प्राध्यापक विधि (उच्च शिक्षा विभाग) पद पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची निम्नानुसार है -

(मुख्य सूची)

SLNO	ROLLNO	NAME	DOMI	CAT	SEX	DOB	PH	SELECTION REMARK
1	107117	RAJESH SINGH	N	1	M	08/08/78		UR
2	107094	BIPIN CHANDRA CHOUBEY	N	1	M	15/04/81		UR
3	107089	PRADEEP KUMAR PANDEY	N	1	M	05/07/79		UR
4	102945	BRAJESH KUMAR	N	1	M	04/02/78		UR
5	107081	CHANDRA SEN PRATAP SINGH	N	1	M	14/06/78		UR
6	107086	SHASHANK THAKUR	Y	1	M	09/11/78		UR
7	102966	SHASHI KANT TRIPATHI	N	1	M	02/09/83		UR
8	107098	DURGESH PRASAD	N	1	M	15/01/78		UR
9	107122	RAGHWESH PANDEY	Y	1	M	01/07/75		UR
10	107100	SURENDRA KUMAR	N	1	M	10/02/78		UR
11	107116	SHASHANK SINGH	N	1	M	09/10/83		UR
12	102982	MADHVENDRA TIWARI	N	1	M	02/07/78		UR
13	102976	SURESH KUMAR	N	1	M	01/02/78		UR
14	107090	ROHIT SRIVASTAV	N	1	M	07/07/80		UR
15	102960	BHOOPENDRA KARWANDE	N	1	M	26/05/83		UR
16	107096	JHARNA CHOUBEY	Y	1	F	23/04/80		UR_F
17	107112	ABHA SINHA	Y	1	F	16/11/70		UR_F
18	102996	SAURABH KUMAR PANDE	Y	1	M	05/04/78		UR
19	102939	PANKAJ JAIN	Y	1	M	01/05/78		UR
20	102941	GIRISH NANDAN SINGH	N	1	M	02/05/78		UR
21	107093	SAPNA TAMRAKAR	N	1	F	23/08/68		UR_F

Udit

(छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित)

महत्वपूर्ण टीप :

1. अभ्यर्थियों जिन्हे आयोग द्वारा विभिन्न कारणों से अनर्ह घोषित कर दिया गया था के द्वारा दायर याचिकाओं के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश तथा आयोग की बैठक दिनांक 25/04/2011 के निर्णय बिन्दु 6.3 के अनुपालन में अनारक्षित वर्ग के लिए 08 (01 महिला) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 02 इस प्रकार कुल 10 पद रिक्त रखे गए हैं. उक्त संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय के आगामी आदेशानुसार कार्यवाही पश्चात चयन सूची व मेरिट क्रम में आयोग द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा.
2. महिला अभ्यर्थियों हेतु रिक्त रखे पदों को मेरिट क्रमानुसार प्रभागवार, समस्तरीय रूप से समायोजित किया जा सकेगा.
3. न्यायालयीन वाद लंबित रहने के कारण प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की गई है.
4. आरक्षित वर्ग के जिन पदों पर अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण चयन नहीं हो सके हैं उन पदों को अग्रणीत कर दिया गया है.
5. उक्त सूची में टंकण/ अंकण / प्रविष्टि संबंधी त्रुटि होने पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में रखी सूची की मूल प्रति ही मान्य होगी.



परीक्षा नियंत्रक (प्रभारी)
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग
रायपुर